राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	16/2012 श्रीमति सुमन देवी / मै० राधागोविन्द ... हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज 223 (1) RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/1/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो० स०1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अपीलार्थीस एवम् रेस्पो० स० 2 लगा० 4 मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नीमेड़ा तहसील जयपुर स्थित आराजी ख०न० 293 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, 290 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा के वादी एवम् प्रतिवादी स० 1 लगायत 5 जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 मे अंकित हिस्सा अनुसार सहकाश्तकार है, जो मनबद्ध के आधार पर काबिज काश्त है। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नही होने से वादी ने वाद मे इस्तदुआ चाही की वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत भूमि विभाजन डिग्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि मे वादी के हिस्सा 152/453 का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भौतिक विभाजन किया जाकर वादी के उक्त हिस्से की भूमि का अलग से लगान कायम किया जाकर खाता अलग किया जावे एवम् प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। प्रतिवादीगण स०1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि कोई विवादग्रस्त नही है, किन्तु उत्तरदाता स० 2 व 3 ने जरिये शति. विक्रय पत्र दिनांक 14/3/2000 व 17/7/1998 को हाल ख०न० 293 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा,	

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमति सुमड़ा देवी / मै. राधागोविन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/2012	2	

290 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किला 2 कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा मे 20/302 हिस्सा मिन उत्तरदाता सं. 1 ने तथा 293 मे 20/302 हिस्सा जो कुल रकबे का 5 बीघा भूमि होती है, क्रय की है और क्रय के पश्चात काबिज है तथा पूर्व खातेदारान् जिसने भी मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 को भूमि क्रय की है उन विक्रेता खातेदारान् की कब्जे की भूमि पर मिन उत्तरदाता को विक्रेतागण ने कब्जा संभलाया था। वर्तमान मे मिन उत्तरदाता उसी पर काबिज है। वादी एक बिल्डर फर्म है और उक्त वाद की आड़ में मिन उत्तरदातागण की कब्जे काश्त की भूमि हड़प कर कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने की चेष्टा करना चाहता है। मिन उत्तरदाता अपनी 5 बीघा भूमि पर अलग से काबिज काश्त है और अपनी हिस्से की भूमि जो 5 बीघा है को हजारो रुपयो से उन्नत किया है एवम् मौके पर उत्तरदाता की 5 बीघा भूमि पर फेंसिंग बाऊन्ड्री बनी हुई है एवम् वादी जो भूमि वादग्रस्त का पश्चातवर्ती क्रेता है तथ्यो को छुपाकर वाद लाया है। अत: मिन उत्तरदातागण की कब्जे खातेदारी की 5 बीघा भूमि को मिन उत्तरदाता के हिस्से मे रख कर बाई मेट्स एण्ड बाऊण्डस के आधार पर तकासमा कर दिया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई ऐतराज नही है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 प्रस्तुत हुआ, जिसका जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 07/6/2010 के द्वारा यह धारित करते हुये कि " चूंकी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमति सुगनी देवी / म. राधागोविन्द

तारीख हुक्म	16/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे यदि पक्षकारो का विभाजन पूर्व से मनबँट के आधार पर किया हुआ होता है तो उनके कब्जे को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है, अतः यदि मौका रिपोर्ट मंगा ली जाती है तो वाद का निर्णय पारित किये जाने में न्यायालय को सहूलियत होगी तथा न्याय पूर्ण निर्णय पारित किया जा सकेगा" प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जयपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि वे पक्षकारो के विवादित भूमि पर वर्तमान कब्जे काश्त बाबत मौका रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करे। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11/8/2011 के जरिये दावा सहखातेदारान् के निहित हिस्सा अनुसार मौके पर उनके कब्जे काश्त को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जयपुर से कुर्रेवात रिपोर्ट मंगाये जाने के आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। रेस्पोन्डेन्टस के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अभिभाषक अपीलार्थी की इकतरफा बहस समाप्त की गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 पर की जाकर सम्पूर्ण तथ्यो का परिक्षण कर मौका	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16/2012 श्रीमति सुगनादेवी / मे. राधागोविन्द	

रिपोर्ट तलब किया जाकर ही प्रकरण में न्यायपूर्ण निर्णय किया जाना धारित कर तहसीलदार जयपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी थी किन्तु तहसीलदार जयपुर से प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील मनमाने एवम् विधि विरुद्ध तरीके से पारित कर दी गयी, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायपूर्ण निर्णय की मंशा के विपरित निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। आवेदक/अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य मौके पर पूर्व से ही बंटवारा हो चुका था एवम् वे अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवम् अपीलार्थी अपनी आराजी पर बाउण्ड्री निर्मित कर काफी रुपया लगाकर कर उन्नत कर काबिज है। इस हेतु ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी थी। अतः निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, पक्षकारान की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

हमने बहस अभिभाषक अपीलान्ट पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित आपत्तियों की पुष्टी होती है कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 पर पक्षकारान की सुनवाई की

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमति सुग्गा देवी / बं. राधागोविन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/2012	5	

जाकर विचाराधीन वाद विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का होने से पक्षकारान् का विभाजन पूर्व से मनबर के आधार पर किया हुआ हो तो उनके कब्जे को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकना धारित करते हुये अपने आदेश दिनांक 07/6/2010 के द्वारा तहसीलदार जयपुर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर विवादित भूमि पर वर्तमान कब्जे काश्त बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गयी किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार जयपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री वाद मे पारित कर दिये गये जो अधिनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 07/6/2010 के विपरित सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त यदि विभाजन के प्रकरण मे पक्षकारान् के मध्य पूर्व मे मनबर के आधार पर विभाजन हो जाने का तथ्य प्रथमदृष्टया जाहिर हो जाता है तो उक्त तथ्य की पुष्टी पश्चात ही प्राथमिक डिक्री वाद मे पारित की जाना न्यायसंगत होता है ताकि पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद शेष नही रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/8/2011 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूर्व मे पारित आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमति सुमनदेवी / मै. राधागोविन्द

तारीख हुक्म	16/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 07/6/2010 की अनुपालना में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर बाद में पुनः प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करे। पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/1/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ जयपुर (राजस्थान)